dfosoillansdowne@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

पत्रांकः– 1789 / 12-1 दिनांक,लैन्सडौन, 04/04 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पौखाल मांडलु से खमाणा मोटर मार्ग के निर्माण में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या के संबंध में ।**

संदर्भः– **आपका पत्रांक 8497/12–1 दिंनाक 25.03.2022**

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पौखाल मांडलु से खमाणा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.628 है0 सिविल वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार हैः–

कम सं0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
3. प्रतिकपूरक वनीकरण		
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.256 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम खमाना सिविल खसरा न0 3411 प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन व प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
ख	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपातंरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफेकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावो में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	सलग्न है।
घ	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	सलग्न है।
4	विभाग प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के जमा जाएगी। प्रतिपूरक विकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षीय योजना की धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा कर दिया गया है।
5. शुद्व वर्तमान मूल्य		
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (c) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनॉक 01.10.2002,01.08.2003,28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रॉक 5–1/1198–एफ0सी0 दिनॉक 18.09.2003, 5–/2006–एफ0सी0 दिनॉक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनॉक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.127 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।

Scanned by CamScanner

ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है। प्रस्तावक विभाग द्वारा (वचन पत्र संलग्न है।)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 189 होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
7	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidance para 11.2 the state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रस्ताव के साथ पूर्व में सलग्न है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल https://parivesh.nic.in के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगें।	जमा कर दिया गया है। (संलग्न है।)
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईसारसी मादंडो के अनुसार सडक के दोनो किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधो की संख्या बढाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रो/वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जांएगें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
12	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिसों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रामिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरो की राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेंगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं0 11–42/2017–एसी0सी0 दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
24	परियोजना निर्माण में मलबे को निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वन अधिकारी की देख रेख में किया जायेगा एवंम निश्चित स्थल के अलावा मलबा कहीं नहीं फेंका जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
25	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।

Scanned by CamScanner

	सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	
26	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोटल https://parivesh.nic.in पर अपलोड की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।

उक्त मोटर मार्ग में सैदान्तिक स्वीकृति की अधोरोपित सभी शर्तो का पूर्णतः अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करे जिससे मोटर मार्ग का निर्माण शीध्र प्रारम्भ कराया जा सके।

संलग्नः– 1 .भुगतान की प्रति।

2. उपरोक्तानुसार प्रपत्र।

भवदीय

(अमरेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन

पत्रांक / 12–1, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड।
2. अधिशासी अभियन्ता ,उप प्रबंधक, एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड पी0आई0यू0–दुगड्डा।

(अमरेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन

Scanned by CamScanner

आदेश

उपजिलाधिकारी लैन्सडोन ने अपने पत्र संख्या–56/आर0सी0/2020 दिनांक लैन्सडोन 29 अक्टूबर 2020 के द्वारा अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पीखाल–गाण्डलू से खगाणा मोटर मार्ग के म्यूटेशन के सम्बन्ध मे जांचोपरान्त पाया गया कि ग्राम खगाणा,पट्टी मल्ला ढांगू–1 तहसील जाखणीखाल के खसरा संख्या– 3411 रकबा 3.259 है0,जो कि नॉन0जेड0ए0 खतौनी श्रेणी 9(ख) खाता संख्या–5 झाड़ी,उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज है इस सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरण हेतु उक्त भूमि पर कोई वृक्ष नही है तथा न ही पथरीली भूमि है,वन विभाग द्वारा उक्त भूमि को पूर्व में निरीक्षण कर भूमि को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया है।

जनपद गढ़वाल के ग्राम खगाणा,पट्टी मल्ला ढांगू–1 तहसील जाखणीखाल के खसरा संख्या– 3411 रकबा 3.259 है0,जो कि नॉन0जेड0ए0 खतौनी श्रेणी 9(ख) खाता संख्या–5 झाड़ी,उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज है इस सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

।। कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ।।

संख्या– R-453/8–एल0ए0सी0–(2020–2021) दिनांक पौड़ी नवम्बर 20, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव,राजस्व अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
4– उप प्रबन्धक,एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड,पी0आई0सू0 दुगड्डा,जनपद गढ़वाल।
5– उपजिलाधिकारी,लैन्सडोन।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

Scanned by CamScanner

Certificate

Certified that the proposal number FP / UK / ROAD / 41658 / 2019 under the provisions contained in the Forest Conservation Act 1980 and Forest Conservation Rules 2000 has been received by the Forest Department for compensatory plantation from **Paukhal Mandulu to Khamana motor road under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna.** 3.259 hectare land (civil / soyam / barren / degraded forest / other forest) etc. owned by the revenue department, under the ownership of the forest department, office of the district magistrate Pauri Garhwal letter no. R-453/8-L.A.C-(2020-2021) has been transferred / allotted with effect from 20.11.2020 and mutation in favor of Forest Department. The ownership of the said land has been registered in the name of the Forest Department in Khasra Khatauni. Its possession has been acquired by the Forest Department for compensatory plantation. The said land is declared as a reserved forest area under Section-4/20/29 of the Indian Forest Act, 1927

Division forest officer
Soil conservation forest
Department, Lansdowne

Scanned by CamScanner

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एंव वन संरक्षण नियमावली 2000 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ ROAD/41658/2019** योजना प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पौखाल मांडलु से खमाण मोटर मार्ग क लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त 3.259 हे0 भूमि (सिविल सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पौडी गढवाल के पत्रांक 453/8–एल0ए0सी0–(2020–2022) दिंनाक 20.11.2020 से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज करा दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त करा लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

Scanned by CamScanner

Forest Section-2

No. /----------

Dehradun, Dated----------2022

Notfication

His Excellency the Governor, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 29 of the India Forest Act 1927 as amended (Central Act No.16 of 1927) is transferred for the of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana given in the following schedule for the exercise of Chapter 4 of the said Act.The area selected for compensatory plantaion again the civil forest land paukhal mandulu to khamana land area is 3.259 hectare,which is owned by the state Government, is of category 5(3) (e)- it is pleased to approve to declare it as a protected forest.

S.N0	District	Village	Khata No./ Khasara No.	Selected area (Ha.)
1	Pauri Garhwal	khamana	3411	3.259

After getting the above land marked and delimited, The Divisional Forest Officer Soil Conservation Forest Division, Lansdowne will take it in his possession, and will enter it in the records.

(Anand Bardhan)
Principal Secretary

NO / x-2-2020-15(29)/2002 Dated,

Copy forwarded to following for information and necessary action-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.
2. Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttarakhand, Dehradun.
3. Chief Wildlife Warden, Uttarakhand, Dehradun.
4. Commissioner Garhwal, Pauri.
5. District Magistrate , Pauri Garhwal.
6. Divisional Forest Officer Soil Conservation Forest Division Lansdowne
7. Sub Divisional Magistrate, Lansdowne.
8. Director Govt. Press Roorkee for printing in Official Gadget.
9. N.I.C Secretariat, Uttarakhand, Dehradun.
10. Guard File.

(Anand Bardhan)
Principal Secretary

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पोखाल– मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग (4.875 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि ग्राम खमाणा स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

Scanned by CamScanner

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/41658/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/41658/2019) Pokhal-Mandlu MR to Khamana, Stage-I, Length-4.875KM	ROAD416582019750	614165875	12 Jun 2020	CA: 1097871/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1069596/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2167467/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :15 Jul 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 26 Aug 2020 Transaction Date : 26 Aug 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/71141271212RDHD8dfonoted pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD416582019750)
2	FP/UK/ROAD/43884/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/43884/2020) L031 Chailusain-Devikhet MR Km 5 to Bamoli MR Km 4.825	ROAD438842020930	614388493	09 Jun 2020	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 287109/-, plantation in open space nearby the road : 133100/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 420209/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :23 Jul 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 05 Aug 2020 Transaction Date : 26 Aug 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/71122125812161HQEKdemandnote.pd Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD438842020930)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 26-08-2020

Agency Name.	PMGSY DUGADDA
Application No.	6141658750
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/20/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PIU DUGADDA , NPCC PMGSY ,VILL. KUNAU, PO GANGA BOGPUR, YAMKESHWARPauri Garhwal
Amount(In Rs)	2167467/-

Amount In Words :Twenty-One Lakh Sixty-Seven Thousand Four Hundred and Sixty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896141658750 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 26-08-2020

Agency Name.	PMGSY DUGADDA
Application No.	6141658750
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/20/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PIU DUGADDA , NPCC PMGSY ,VILL. KUNAU, PO GANGA BOGPUR, YAMKESHWAR Pauri Garhwal
Amount(In Rs)	2167467/-

Amount In Words :Twenty-One Lakh Sixty-Seven Thousand Four Hundred and Sixty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896141658750 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–50

योजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पोखाल– मांड़लू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग (4.875 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007– एफ0सी0 दिनॉक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता नियता निम्नानुसार है:–

1. ईको– क्लास श्रेणी ..... V .....
2. हरियाली का घनत्व – 0.3 प्रतिशत
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रूपये – 6,57,000
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – 1.628 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि – 1069596.00

(दस लाख ~~उनसठ~~ उनहत्तर हजार पांच सौ छियानवें)

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि सरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पोखाल– मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग (4.875 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

Scanned by CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पोखाल मांडलु से खमणा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.526 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन I

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहा संभव हो सड़क के दोनों किनारो तथा Central verge पर प्रोयक्ता एजन्सि द्वारा वन विभाग की देखरेख मे strip plantation कराया जायगा

भवदीय

उप-प्रबंधक
एन०पी०सी०सी० लिमिटेड
पी०आई०यू०-दुगड्डा

PIU
NPCC
PAURI GARHWAL (U.K)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

प्रपत्र 30.3

परियोजना का नाम :– जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पौखाल मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग विकासखण्ड द्वारीखाल तहसील लैन्सडौन की भूमि अधिग्रहित।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, लैन्सडौन
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, लैन्सडौन

उपखण्ड **लैन्सडौन** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **पौखाल मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग (0.00 हे0 आरक्षित वनभूमि, 1.628 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 1.628 हे0 वनभूमि का पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **लैन्सडौन**) की दिनांक 16/12/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सोहन सिंह सैनी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री सोहन सिंह उपजिलाधिकारी लैन्सडौन ——————— अध्यक्ष
(मुहर: उ० जि० म०, लैन्सडौन (गढ़वाल))

2– श्री गिरीश चन्द्र बेलवाल उप प्रभागीय वनाधिकारी ——————— सदस्य
(मुहर: उप प्रभागीय वनाधिकारी, ... वन प्रभाग, लैन्सडौन)

3– श्री कपिल कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी ——————— सचिव
(मुहर: सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण), विकास खण्ड द्वारीखाल, पौडी गढ़वाल)

4– श्री मन्नी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————— सदस्य
(मुहर: क्षे0 प0 सदस्य)

Scanned by CamScanner

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि पौखाल मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.628 हे0 वन भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वनप्रभाग लैन्सडौन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **लैन्सडौन** परिक्षेत्र के अन्तर्गत पौखाल मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.628 हे0 वन भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-- लैन्सडौन
जनपद-- पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, पौडी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-- लैन्सडौन
जनपद-- पौड़ी गढ़वाल

Scanned by CamScanner

प्रपत्र –30.4

परियोजना का नाम :– जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पौखाल मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग विकासखण्ड द्वारीखाल तहसील लैन्सडौन की भूमि अधिग्रहित।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....खमाणा........

तहसील लैन्सडौन, जिला पौडी, गढवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौडी गढवाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में **पौखाल मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु **(0.00 हे0 आरक्षित वनभूमि, 1.628 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 1.628 हे0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग / संस्था** के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....खमाणा....... द्वारा दिनांक ...14-12-16... को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि मे आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही । उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है ।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **खमाणा** के ग्रामवासियों को उक्त **वनभूमि 1.628 है0** प्रयोक्ता ऐजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....खमाणा....
वि0ख0 द्वारीखाल (पौड़ी गढ़वाल)

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम सभा
वीरेन्द्र कुमार
खमाणा
तहसील लैन्सडौन
जिला पौड़ी गढ़वाल

नोट :– यदि किसी आदिवासी अशवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Scanned by CamScanner

प्रपत्र 30.5

दिनांक 15/12/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भवानी दत्त लखेड़ा	[illegible]
2	गणेश सिंह	गणेश
3	रमेश चन्द	[illegible]
4	वीरेन्द्र कुमार	[illegible]
5	गुड्डी देवी	गुड्डी देवी
6	सुरज कुकरेती	सुरज कुकरेती
7	ध्यान सिंह	ध्यान[illegible]
8	सुमति देवी	
9	सुनील सिंह	सुनील सिंह
10	गुड्डी देवी	
11	विद्या दत्त	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	बाला देवी	उमा देवी
14	दमयन्ती देवी	दमयन्ती
15	उमा देवी	उमा देवी
16	जगदीश प्रसाद	[illegible]
17	जयानन्द	जयानन्द
18	निर्मला देवी	निर्मला देवी
19	विमला देवी	विमला देवी
20	रुक्मणी देवी	रुक्मणी देवी
21	उर्मिला देवी	उर्मिला देवी
22	कृपाल सिंह	कृपाल सिंह
23	सत्य प्रकाश दास	सत्य प्रकाश दास
24	देवेन्द्र प्रसाद	देवेन्द्र प्रसाद
25	विधाता देवी	विधाता देवी
26	सकलानन्द कुकरेती	सकलानन्द कुकरेती
27	विनोद कुमार	विनोद कुमार
28	दिनेश चन्द	दिनेश चन्द
29	चन्द्रमोहन लखेड़ा	[illegible]
30	सुभाष चन्द्र	[illegible]
31	सुशील चन्द्र	सुशील चन्द्र
32	मदनमोहन लखेड़ा	मदनमोहन
33	शशिमोहन	शशिमोहन
34	खुशी[illegible] लखेड़ा	खुशी[illegible] लखेड़ा
35		
36		

Annexure -1

FORM 1

(for linear projects)

Government of India

Office of the District Collector Pauri

No. 1160/28-प्रशा० अधि० (ग्रा०प्रशा०)2017 Dated 22-9-2017

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Enviroment and Forests (M0EF), **Government of India's letter No.** 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued **guidelines on submission** of evidences for having initialted and completed the process of **settlement of rights** under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (**Recognition of Forest** Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted **for non-forest** purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.628 hectares of forest land proposed to be diverted in fovour of **Rural Development Deparmtment** (name of user agency) for **Road Construction** (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Khamana** Villages(s) in **Lansdowne** tehsils.

(a) The complete process for identificaton and stettlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.628** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1 to annexure 4.**

(b) The diversion of forest land for facilities manged by the Goverment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not invovle recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communites.

Encl.: As Above

(Sushil Kumar)
District Collector Garhwal
Pauri Garhwal

DM/Collector
Garhwal

C:\USERS\DM\DOWNLOADS\KHAMANA.DOCX

Scanned by CamScanner

Annexure -II

FORM 1

(for project of other linear projects)

Government of India

Office of the District Collector Pauri

No 1160/26 प्रशा० अधि० (सा०प्रशा०) 2017 Dated 22/09/2017

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Enviroment and Forests (M0EF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialted and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short), on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that **1.628** hectares of forest land proposed to be diverted in fovour of **Rural Development Deparmtment** (name of user agency) for **Road Construction** (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Khamana** villages(s) in **Lansdowne** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identificaton and stettlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.628** hectares of forest Land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1 to annexure 4.**

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in verncular/ local languages) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA,

(c) The each of concerned Gram Shabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have been given their consent to the proposed diverision and the compensation and amelioratie measures, if any,having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy certificate issued by the gram sabha of **Khamana** villages(s) is enclosed as annexure **annexure 1 to annexure 4.**

(d) The discussion and dicision on such proposals had taken case only when there was a quorum of minimum 50% of the member of gram shabha present.

(e) The diversion of forest land for facilities manged by the Goverment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The Right of primitive travel group and pre agriculture communities when applicable have been specifically safeguarded as per saction 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As Above

(Sushil Kumar)

District Collector Garhwal

Pauri Garhwal

ANNEXURE.. DM/Collector.....

Garhwal

C:\USERS\DM\DOWNLOADS\KHAMANA.DOCX

Scanned by CamScanner

ANNEXURE..... Pauri Garhwal

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT:- GARHWAL PAURI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pauri Garhwal** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Sushil Kumar I. A.S deputy commissioner Garhwal on dated 22-9-17 at time 11:00 AM at Pauri in which application claiming rights in ..... area measuring **1.628** hect for the construction of **Paukhal Mandulu Motor Marg to Khamana Motor Marg (4.875 K.M.)** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Lansdowne** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pauri
Dated: 22-9-2017

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee.
DM/Collector
Garhwal

Scanned by CamScanner

It is Further Certified that - Minutes of Meeting of Construction of **Paukhal Mandulu Motor Marg to Khamana Motor Marg (4.875 K.M.) regarding FRA** is as following :

Ser. No.		Remark
(a)	The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire **1.628** hectares of forest area proposed for Diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No Objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन
लैन्सडौन

अधिशासी अभियन्ता
लो०नि०वि०/पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
सतपुलि/पौड़ी (गढ़वाल)

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी गढ़वाल
जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)

...PANWAR\FOREST MEETING\FOREST MEETING MAY TAK\FRA & O\E.DOCX

Scanned by CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाश रोड, देहरादून–248001
दूरभाशः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/20/2020/एफ0सी0/305

दिनांकः 12/06/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :जनपद – पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पौखाल मांडलु मार्ग से खमाणा, (स्टेज–1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 216/x-3-20/1(28)/2020 दिनांक 14.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/41658/2019 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 09.06.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – जनपद – पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पौखाल मांडलु मार्ग से खमाणा, (स्टेज–1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरणः
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.256 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम खमाणा सिविल खसरा नं0 3411 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।
   ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।
   घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
   (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ. सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.628 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 189 trees होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7- State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

12. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।

13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

17. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

19. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

20. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

21. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

22. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

23. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

24. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

25. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

26. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner